आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नगर उंटारी

विविध अपील वाद सं० 11/15-16

रामवृक्ष सिंह मेहता वगैरह ———— अपीलार्थीगण

बनाम

गुलाब साव वगैरह ———— प्रत्यार्थीगण

आदेश

26.12.17

अभिलेख अंतिम निष्पादन हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के विविध वाद सं० 36/15-16 में दिनांक 30.10.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र विलम्ब दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यार्थीगण के द्वारा जिला जज के पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थीगण के नाम से

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

चल रहे मांग की भूमि का जमाबंदी विपक्षी के नाम से कर दिया गया है जबकि अपीलार्थीगण प्रत्यार्थी के हिस्सेदार से ही भूमि क्रय किए हैं जिसका नामांतरण होकर मांग चल रहा है प्रत्यार्थी के द्वारा तथ्य को छुपाकर कर [redacted] मांग कायम करा लिया गया। जिला जज गढ़वा के पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिभीजन दायर किया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर ही मांग कायम कर दिया गया। जबकि सभी फरीक को न तो नोटिस निर्गत किया और न तो पूर्व से चल रहे मांग पंजी के मांगधारियों को ही नोटिस निर्गत किया गया। मात्र प्रश्नगत भूमि का गुलाब साव वगैरह के नाम से कायम कर दिया। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा पारित आदेश में न तो आम इश्तहार निर्गत किया और न अन्य फरीक को सूचना दी गई। सिर्फ बिना तिथि के ही आवेदन-पत्र लेकर एक ही तिथि में मांग कायम की कार्रवाई सम्पन्न कर दी गई। जो सर्वथा अनुचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा विविध वाद सं. 36/15-16 में दिनांक 20.10.15 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र स्वीकार की जाए। अपीलार्थीगण अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए हैं:

(1) केवाला सं. 1145 दिनांक 5.3.80 —— 5 फर्द
(2) केवाला सं. 1330 दिनांक 23.1.1971 —— 5 फर्द
(3) केवाला सं. 6821 दिनांक 1.9.87 —— 5 फर्द
(4) केवाला सं. 6090 दिनांक 6.8.86 —— 5 फर्द
(5) केवाला सं. 263 दिनांक 9.1.70 —— 5 फर्द
(6) केवाला सं. 2102 दिनांक 30.10.72 —— 4 फर्द

(7) केवाला सं० (बरवास) वाद सं० 46 दि० 19.4.86 — 8 फर्द
(8) विविध वाद सं० 11/2015 का आदेश — 9 फर्द
(9) उच्च न्यायालय रांची का नोटिस — 1 फर्द
(10) वर्तमान खतियान बैजनाथ साव — 1 फर्द
(11) वर्तमान खतियान कोदू साव — 2 फर्द
(12) वर्तमान खतियान कम्प्युटराईज बैजनाथ साव की — 2 फर्द
(13) बिहार लैण्ड रिफार्म एक्ट 1950 का रिटर्न — 2 फर्द
(14) सरकारी मालगुजारी रसीद नामें बैजनाथ साव - 2 फर्द
(15) लिलावती देवी के पक्ष में केवाला की छाया — 8 फर्द
(16) जगरनाथ का केवाला की छाया प्रति — 4 फर्द

63 फर्द

प्रत्यार्थी अनुपस्थित। तत्पश्चात् एक पक्षीय सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि के अन्य हिस्सेदारों एवं खरीददारों को बिना सूचना दिए अंचल अधिकारी के द्वारा प्रत्यार्थी के नाम एक ही तिथि में जमाबंदी जिला जज का आदेश का हवाला देकर कर दिया गया है, जबकि इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया है जबकि राजस्व कागजातों एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख में किसी पक्षकारों एवं हिस्सेदारों को नोटिस निर्गत नहीं किया है सिर्फ अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को आधार मानकर जमाबंदी कायम किया गया है जबकि अपीलार्थीगण का जमाबंदी पूर्व से कायम है, जिसे बिना सूचना दिए बन्द कर दिया गया। प्रत्यार्थी इस में उपस्थित होकर पैरवी

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	करना छोड़ दिए। जिससे विदित होता है कि प्रत्यार्थीगण को इस वाद से कोई अभिरूची नहीं है। बार-बार स्मार के बावजूद अनुपस्थित। प्रस्तुत दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी के अभिलेख के अवलोकनोपरान्त विविध वाद सं. 36/15-16 में दिनांक 30.10.2015 को पारित आदेश में किसी भी फरीक एवं जमाबंदीधारी रैयत को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है, मात्र एक आवेदन-पत्र पर बिना तिथि अंकित पर एक ही तिथि में आदेश पारित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व अभिलेख प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है अतः अंचल अधिकारी, नगर उंटारी द्वारा विविध वाद सं. 36/15-16 में दिनांक 30.10.15 को पारित निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, नगर उंटारी को भेजें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी। — भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी।	